न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2015/00065 (20/2015) 223 आरटीएक्ट

नवजौतसिंह पुत्र श्री लाभसिह जाति जटसिख निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। – अपीलांण्ट

बनाम

1. रानी कौर धर्मपत्नी राजेन्द्र सिंह (पुत्री स्वर्गीय श्री हरबंस कौर धर्म पत्नी श्री लाभसिह) जाति जटसिख निवासी छन्तेआना तहसील गिदड़बाह, जिला मुक्तसर पंजाब
2. लाभसिंह पुत्र जबरजंगसिंह जाति जटसिख निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. रूपीन्द्र कौर धर्मपत्नी श्री गुरविन्द्रसिंह (लाभसिंह) जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 11 करणपुर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. किरणपाल कौर पुत्री लाभसिह जाति जटसिख निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. राजपाल कौर उर्फ राजवीर कौर पुत्री लाभसिह जाति जटसिख निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
6. स्टेट, जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.04.2015 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) पीलीबंगा प्रकरण संख्या 139/2014 बअनवानी नवजौतसिंह बनाम राणीकौर आदि

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांण्ट
श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1
श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः– 04.06.2019

1. अपीलार्थीया/वादीया ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधीनियम में प्रस्तुत कर कथन किये कि उसकी माता हरबंस कौर के नाम चक 20 जे.आर.के. में 2.960 है0 भूमि दर्ज है। यह भूमि पैतृक सम्पति होने से इस भूमि में 3/5 हिस्से तथा शेष भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिस्सा बराबर खातेदार होने की उद्घोषणा का अनुतोष दिया जावे। इस दावा में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के द्वारा आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5, प्रतिवादी संख्या 2 लाभसिंह की दूसरी पत्नी प्रीतकौर के वारिस होने का कथन करते हुए रेस्पोडेण्ट संख्या 1

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की माता हरबंस कौर के द्वारा प्रश्नगत भूमि जरिये रजिंस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को प्राप्त होने का कथन करते हुए विभाजन का वाद 31.07.2007 को डिक्री होने के आधार पर हरबंस कौर की भूमि में वादीया का कोई अधिकार नहीं होने के कारण वादकारण हासिल नहीं होने से दावा खारिज करने का अनुतोष चाहा जो विचारण न्यायालय ने स्वीकार कर वादी का दावा खारिज किया है जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अपीलाण्ट वादी ने प्रस्तुत किया था जो अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर दावा अपीलाण्ट खारिज किया है। लाभसिंह के प्रथम पत्नी हरबंस कौर है। उसके एक पुत्री रानी कौर है एवं द्वितीय संतान रणधीर सिह लाऔलाद फौत हो चुका है। लाभसिह की द्वितीय पत्नी प्रीतकौर से एक पुत्र नवजोत सिह जो अपीलाण्ट है। रानी कौर ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा नहीं देकर प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसमें उसने प्रश्नगत भूमि रानी कौर की माता हरबंस कौर की वसीयत से प्राप्त होनी बताई। रणधीरसिह को यह भूमि अपने पिता लाभसिंह से जरिये विभाजन राजस्व वाद 143/1993 से प्राप्त हुई थी। यह अंकित करते हुए उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। नवजोतसिंह का जन्म उक्त विभाजन वाद के निर्णय के बाद में हुआ। कौपार्सनरी संपत्ति से संबंधित पूर्व विभाजन संबंधित वाद पर भी नवजोत का कानूनन हक होता है। बाद में जन्मे पुत्र को संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि से संबंधित पूर्व विभाजन के निर्णय को रिओपन करवाने का अधिकार होता है। प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को को दावे में साक्ष्य परिक्षण के बाद निर्धारण होना था। प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत दावा को खारिज नहीं किया जा सकता था। प्रकरण में जवाब लेकर तनकियात कायम कर उस पर साक्ष्य लेकर ही दावा का निस्तारण किया जाना चाहिए था। इसलिए अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किये जाने का कथन किया। अधीवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में 2003 आरआरडी पेज 89, 2004 आरआरडी पेज 779, आरआरडी 2010 पेज 87 व 737, 2011 आरआरडी पेज 603, 2014 आरआरडी पेज 162, सीसीसी 2014 एसयूपी पेज 9, 2013 डीएनजे पेज 627, 2000–01 डीएनजे एसयूपी पेज 40, एआईआर 2008 एनओसी पेज 191, 1994 एआईआर एचपी पेज 109, न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है। अपीलाण्ट ने रणधीरसिंह के द्वारा पूर्व में दावा पेश होना स्वीकार किया है तथा 1995 में जरिये डिक्री रणधीरसिंह को प्रश्नगत भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि होने की उद्घोषणा हुई है। रणधीरसिह की मृत्यु होने पर उसकी प्रश्नगत भूमि पर हरबंस कौर को जरिये

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विरास्तन अधिकार प्राप्त हुए। तत्पश्चात् हरबंस कौर ने खाता विभाजन का दावा पेश किया जो 31.07.2007 को डिक्री हुआ। हरबंस कौर द्वारा अपनी पुत्री रानीकौर के पक्ष में 1996 में रजिस्टर्ड वसीयत करवाई। अपीलाण्ट द्वारा दावा में एवं बहस में पूर्व में पारित निर्णय का कोई हवाला नहीं दिया। दावा 2007 में डिक्री होने से पूर्व नवजौत सिंह का जन्म 1998 में हो चुका था। वादी को लाभसिंह की सम्पूर्ण भूमि को अंकित करते हुए दावा लाना चाहिए था एवं पूर्व में पारित निर्णयों के विरूद्ध अपील करनी चाहिए थी। अब अपीलाण्ट किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानानुसार निर्णय पारित किया है जो यथावत रखा जावे। अपने कथनों के समर्थन में सीसीसी 2010 पेज 167 एवं 2013 डीएनजे पेज 631, 2014 डीएनजे पेज 349 राजस्थान न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलार्थीया/वादीया ने धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधीनियम में प्रस्तुत कर अपनी माता हरबंस कौर के नाम चक 20 जे.आर.के. में 2.960 है0 भूमि दर्ज होने एवं यह भूमि पैतृक सम्पति होने से इस भूमि में 3/5 हिस्से तथा शेष भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिस्सा बराबर खातेदार होने की उद्घोषणा का अनुतोष चाहा था जिसमें रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट को कोई वाद कारण हासिल नहीं होने के आधार दावा खारिज करने का अनुतोष चाहा था जो विचारण न्यायालय ने स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वाद संख्या 143/93 रणधीरसिह बनाम लाभसिह आदि निर्णय दिनांक 27.03.1995 प्रस्तुत हुई है जिससे वाद रणधीरसिह डिक्री किया किया गया है एवं एक अन्य वाद हरबंस कौर बनाम लाभसिह आदि वाद संख्या 148/2006 जो दिनांक 31.7.2007 को डिक्री हुआ है जिसमें चक 20 जे आर के पत्थर नंबर 42/258 की 11 बीघा 14 बिस्वा भूमि का खाता विभाजन एवं उद्घोषणा का वाद डिक्री किया गया है। शेष चकों से वादीया का नाम कलमजन किये जाने का आदेश दिया गया है। हरबंस कौर द्वारा प्रश्नगत भूमि की वसीयत रानीकौर के हक में 06.08.96 को तहरीर कर 07.08.96 को सब रजिस्ट्रार लम्बी पंजाब में रजिस्टर्ड करवाने के कथन भी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने किये हैं। इस सम्बन्ध में जमाबन्दी 2068–71 की प्रमाणित प्रति अपील में प्रस्तुत हुई है। अपीलाण्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में इन तथ्यों का बिना कोई उल्लेख किये वाद प्रस्तुत किया जबकि प्रश्नगत वसीयत जो एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है एवं न्यायालय के निर्णय भी आज दिनांक को प्रभावी नहीं हो ऐसा कोई साक्ष्य अभीलेख पर नहीं हैं। जहां तक प्रश्नगत भूमि के पैतृक सम्पति होने एवं उसमें प्रीतकौर का पुत्र अपीलाण्ट नबजौतसिंह का हक हिस्सा होने का प्रश्न है उपरोक्त वर्णित निर्णयों एवं वसीयत के प्रभावशील रहते हुए वे किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलाण्ट ने प्रश्नगत भूमि पैतृक होना वाद में अंकित किया है। 2010 सीसीसी सर्वोच्च न्यायालय पेज 167 में यह अवधारणा पारित की गई है कि शून्य एवं

Web Copy, Not Official

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

शून्य करणीय विवाह से उत्पन्न सन्तान का पैतृक सम्पति में कोई अधिकार नहीं है। इसी अनुसार 2014 डीएनजे पेज 349 राजस्थान में यही अवधारणा पारित की गई है। उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय 13.04.2015 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 04.06.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

04/6/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास मूल चन्द आर0ए0एस0
अपील संख्या 2015/00065 (20/2015) 223 आरटीएक्ट

नवजौतसिंह पुत्र श्री लाभसिह जाति जटसिख निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। — अपीलाण्ट

बनाम

1. रानी कौर धर्मपत्नी राजेन्द्र सिंह (पुत्री स्वर्गीय श्री हरबंस कौर धर्म पत्नी श्री लाभसिह) जाति जटसिख निवासी छन्तेआना तहसील गिदड़बाह, जिला मुक्तसर पंजाब
2. लाभसिंह पुत्र जबरजंगसिंह जाति जटसिख निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. रूपीन्द्र कौर धर्मपत्नी श्री गुरविन्दरसिंह (लाभसिंह) जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 11 करणपुर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. किरणपाल कौर पुत्री लाभसिह जाति जटसिख निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. राजपाल कौर उर्फ राजवीर कौर पुत्री लाभसिह जाति जटसिख निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
6. स्टेट, जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.04.2015 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) पीलीबंगा प्रकरण संख्या 139/2014 बअनवानी नवजौतसिंह बनाम राणीकौर आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1, श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता, की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय 13.04.2015 यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 06.04.2019 को जारी की गई।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(मूलचंद) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ